न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री ओ.पी. बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 05/2021 (निगरानी पंचायत)
GCMS No: 2021/12

अनवान

1. श्री रमेशचन्द्र मेघवाल पुत्र श्री धूरीलाल मेघवाल, निवासी—मेघवाल बस्ती, ऋषभदेव, जिला उदयपुर।

— निगरानीकर्ता

बनाम

1. श्रीमती हेमलता मेघवाल पुत्री श्री भेरूलाल मघवाल, निवासी—मेघवाल बस्ती, ऋषभदेव, जिला उदयपुर।
2. ग्राम पंचायत ऋषभदेव, जरिये सरपंच/सचिव ऋषभदेव, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर।

— विपक्षीगण/रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित

1. श्री आशीष दोवड़िया, अधिवक्ता निगरानीकर्ता।
2. श्री लोकेश मेनारिया, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1

निगरानी अंतर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994
विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत ऋषभदेव पट्टा जारी आदेश दिनांक 20.03.2005

* निर्णय *

दिनांक— 16-02-2022

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी अंतर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि निगरानीकर्ता के पिता के स्वामित्व एवं आधिपत्य का आबादी का भूखण्ड सन् 1975 मे राज्य सरकार के आदेशानुसार 150 वर्गगज का आवंटित हुआ था, जो राजस्व ग्राम धुलेव की साबिक आराजी संख्या 997 मे सीनियर सेकण्ड़री स्कूल के पीछे बिलख बलुआ रोड़ पर स्थित है। निगरानीकर्ता के पिता का स्वर्गवास हो जाने से निगरानीकर्ता का उक्त भूखण्ड़ पर स्वामित्व एवं आधिपत्य है। प्रार्थी के पिता ने भवन निर्माण हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 02.07.1981 को प्रस्तुत किया था, जिस पर ग्राम पंचायत ऋषभदेव ने नियमानुसार राशि जमा कर आपत्ति बाबत् सम्मन जारी किये थे। तत्पश्चात् निगरानीकर्ता के पिता ने उक्त भूखण्ड पर चारदीवारी बना एक कमरे का निर्माण कराया। उक्त भूखण्ड़ को विपक्षी संख्या 1 ने फर्जी तरीके से ग्राम पंचायत ऋषभदेव मे दस्तावेज बाबत् कथन कर अपने नाम से नया आबादी भूखण्ड का विक्रय विलेख पट्टा दिनांक 20.03.2005 को जारी करा लिया। पट्टा जारी करते समय विपक्षी संख्या 1 की आयु 14 वर्ष की थी। विपक्षी संख्या 2 को यह अधिकार प्राप्त नही हैं कि वह नाबालिग व्यक्ति को पट्टा जारी कर सके। सरपंच एवं सचिव की मिलीभगत से उक्त पट्टा जारी हुआ है। निगरानीकर्ता ने पूर्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2022.02.18 10:43:53 IST
Reason: SelfAttested

मे इस बाबत् पुलिस थाना ऋषभदेव मे सरपंच एवं अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध प्रकरण भी दर्ज कराया गया है। निगरानीकर्ता एवं उसके भाई ने उक्त पट्टे बाबत् आपत्ति भी प्रस्तुत की थी, किन्तु उक्त आपत्ति को न मानते हुए विपक्षी संख्या 1 के पक्ष मे उक्त पट्टा जारी कर दिया गया। विपक्षी संख्या 2 द्वारा पट्टा जारी करने की मिसल के निर्णय मे अंकित किया है कि हेमलता पुत्री भेरूलाल मेघवाल, ऋषभदेव का एक प्रार्थना पत्र दिनांक 05.01.2005 को पेश कर दर्शाया है कि मैन एक भूखण्ड़ हाई स्कूल के पीछे जो पूर्व मे रमेशचन्द्र भगवती लाल का था उसे कोमतन खरीदा है, जिसका पट्टा गुम हो जाने से नया पट्टा मेरे नाम से जारी किया जावे, जो राशि होगी वह म पंचायत मे जमा करा दूंगी। इस प्रकार पचायत के निर्णय मे भी निगरानीकर्ता के नाम से उक्त भूमि होने की ताईद की गयी है। इसके बावजूद ग्राम पंचायत द्वारा त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित कर विपक्षी संख्या 1 के पक्ष मे पट्टा जारी किया है। विपक्षी संख्या 1 ने उक्त भूमि निगरानीकर्ता से क्रय करना बताया है तो उसका उपपंजीयक के यहां विक्रय विलेख का निष्पादन किया जाना था। निगरानीकर्ता ने विपक्षी संख्या 1 से कभी भी भूमि कोमतन नही खरीदी है। विपक्षी संख्या 1 पट्टे के आधार पर भूमि को विक्रय करने पर आमदा है। निगरानीकर्ता को दस्तावेजों की नकल प्राप्त होने पर उक्त तथ्य की जानकारी प्राप्त हुई एवं जानकारी प्राप्त होते ही पट्टा निरस्ती हेतु निगरानी प्रस्तुत कर रहा है। अतः निगरानीकर्ता द्वारा पस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर विपक्षी संख्या 1 के पक्ष मे जारी पट्टा दिनांक 20.03.2005 को निरस्त करने का आदेश प्रदान करावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण/रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये जाकर अपना पक्ष रखने हेतु अवसर दिया गया। विपक्षी संख्या 1 की ओर से श्री लोकेश मेनारिया अधिवक्ता द्वारा वकालात पत्र पेश कर प्रारम्भिक आपत्ति सहित जवाब प्रस्तुत किया कि निगरानीकर्ता द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर यह निगरानी प्रस्तुत की है। यह तथ्य स्वीकार नही है कि उक्त भूखण्ड निगरानीकर्ता के पिता को आवंटित हुआ हो। चूंकि विगत 15 वर्षो मे विभिन्न कार्यवाहोयों के बावजूद प्रार्थी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही कर सका है। निगरानीकर्ता द्वारा स्वयं के कथन की पुष्टि स्वरूप कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है। निगरानीकता एवं उसके भाई ने कथित भूखण्ड़ विपक्षी संख्या 1 को दिनांक 29.06.2006 को इकरार कर दिनांक 20.12.2006 को विक्रय पत्र निष्पादित कर सुपुर्द कर दिया था। स्वयं निगरानीकर्ता ने विपक्षी संख्या 1 के पक्ष मे पट्टा जारी करने मे सहमति व्यक्त की है। पट्टा जारी करते समय नाबालिग के नाम पट्टा जारी होना, मिलीभगत होना, अधिकारिता से परे होना आदि तथ्य निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी मे प्रस्तुत किये गये है, जो गलत हैं। निगरानीकर्ता द्वारा दर्ज कराये गये आपराधिक प्रकरणों मे एफ.आर लग चुकी है। दोनो एफ.आर न्यायालय द्वारा स्वीकार की गई है। निगरानीकर्ता मात्र विक्रय पत्र के पंजीयन न होने से एक मात्र आधार लेकर बार–बार अनुचित लाभ प्राप्त करना चाहता है। क्रेता के कब्जे की जानकारी निगरानकर्ता को प्रारंभ से ही रही है। ग्राम पंचायत ने भी जारी पट्टे का दिनांक 11.12.2006 को पंजीकरण कराया है। निगरानीकर्ता को आपत्ति करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है। उक्त भूखण्ड़ आराजी संख्या 2268 का ही भाग है, जो पंचायत की भूमि थी एवं निगरानीकर्ता के पिता का

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2022.02.18 10:43:53 IST
Reason: SelfAttested

उक्त भूमि पर कब्जा था, परन्तु कोई पट्टा रेकर्ड मे नही है, फिर भी पट्टा जारी होने का कहते रहे एवं विपक्षी 1 को भूमि की आवश्यकता होने से इच्छित राशि प्राप्त कर पट्टा विपक्षी संख्या 1 के नाम सहमति से जारी कराया है। तत्समय विपक्षी संख्या 1 बालिग थी किन्तु शिक्षकों ने उम्र गलत अंकित कर दी है एवं कानूनन भी नाबालिक के हित मे सम्मति क्रय करना वर्जित नही है। निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी मयाद बाहर होने के आधार पर भी खारिज किये जाने योग्य हैं। अतः निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जावें। प्रकरण मे ग्राम पंचायत ऋषभदेव से मूल पत्रावली तलब की जाकर प्रकरण मे बहस हेतु तिथि नियत की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक उपस्थित हुए। निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने बहस प्रारंभ करते हुए निगरानी मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए सन् 1975 मे निगरानीकर्ता के पिता को भूमि आवंटन होना, ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण की अनुमति जारी करना, विपक्षी संख्या 2 द्वारा विपक्षी संख्या 1 नाबालिग को पट्टा जारी करना, संरपच एवं अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज होना, संरपच एवं सचिव की मिलीभगत होना, विपक्षी संख्या 1 को जारी पट्टे मे निगरानीकर्ता की कोई सहमति न हाना, पट्टा वर्ष 2005 का होना एवं सहमति पत्र पर पश्चातवर्ती दिनांक 28.06.2006 अंकित होना, पंचायत की समस्त कार्यवाही एक ही दिन मे सम्पादित होना, विक्रय विलेख का कही पंजीयन नही होना आदि आधारों पर विपक्षी संख्या 1 के पक्ष मे जारी पट्टे को निरस्त करने की मांग की।

विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता ने बहस मे भाग लेते हुए अपने जवाब मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी मनगढ़न्त तथ्यों पर आधारित होना, पंचायत द्वारा विधिवत पट्टा जारी किया जाना, आपराधिक प्रकरणों मे एफ.आर लगना, निगरानीकर्ता के पास पट्टा न होने से सेलडीड न हो पाना, निगरानी मयाद बाहर होना, शिक्षकों द्वारा गलत उम्र दर्ज करना, भूमि का निगरानीकर्ता एवं उसके भाई द्वारा विपक्षी संख्या 1 के साथ विधिवत इकरार करना, पट्टा जारी करने मे निगरानीकर्ता की सहमति होना, मौके पर विपक्षी संख्या 1 का कब्जा होना आदि आधारों पर निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी को निरस्त करने की मांग की। विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा यह भी कथन किया गया कि विपक्षी संख्या 1 के पक्ष मे जारी कथित पट्टा पंजीकृत हो चुका है एवं पंजीकृत पट्टे को निरस्त करने की क्षेत्राधिकारिता इस न्यायालय को न होकर सक्षम सिविल न्यायालय को है। अतः निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी अस्वीकार कर खारिज की जावें। विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा अपने समर्थन मे निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये–

- ए.आई.आर. 1960 सुप्रीम कोर्ट पेज 260
- डब्ल्यु एल सी 2007 पृष्ठ 28
- आर.एल.डब्ल्यु 1999 पृष्ठ 1821

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2022.02.18 10:43:53 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी एवं पत्रावली मे उपलब्ध निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी, विपक्षी संख्या 1 के जवाब, ग्राम पंचायत से प्राप्त पत्रावली आदि अवलोकन किया एवं उनमे वर्णित तथ्यों पर गंभीरता से मनन किया। ग्राम पंचायत ऋषभदेव से प्राप्त मूल पत्रावली संख्या 58/2005 के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि विपक्षी संख्या 2 द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष मे पट्टा जारी करने का आदेश उनकी आदेशिका पर दिया हैं, किन्तु पत्रावली के साथ न तो आवेदनकर्ता का आवेदन पत्र सलंग्न है, न ही मौका रिपोर्ट, न ही आपत्ति आह्वान पत्र, न ही कोई दस्तावेज, न ही पट्टे की कार्यालय प्रति सलंग्न की हैं। इसके अतिरिक्त आदेशिका पर उपस्थिति स्वरूप किसी के भी हस्ताक्षर उपलब्ध नहीं हैं। पत्रावली के साथ मात्र रमेशचंद्र पिता धूरीलाल मेघवाल के हस्ताक्षरशुदा प्रार्थना पत्र सलंग्न है, जिसमे विपक्षी संख्या 1 के पक्ष मे पट्टा जारी करने मे सहमति व्यक्त की है, किन्तु उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 28.06.2006 का है, जबकि विपक्षी संख्या 1 के पक्ष मे जारी पट्टा पूर्ववर्ती दिनांक 20.03.2005 का जारी किया गया हैं। विपक्षी संख्या 1 द्वारा निगरानीकर्ता से भूमि विक्रय बाबत इकरार होने का उल्लेख किया है, किन्तु ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर नहीं है एवं न ही विक्रय पत्र पंजीबद्ध होने का कोई दस्तावेज पुष्टि स्वरूप सलंग्न हैं। विपक्षी संख्या 1 के नाबालिग होने अथवा न होने का भी कोई दस्तावेज प्रकरण मे सलंग्न नहीं हैं, किन्तु इस तथ्य को अपने जवाब मे विपक्षी संख्या 1 द्वारा स्वयं स्वीकार किया हैं कि स्कूल मे शिक्षकों द्वारा उक्त आयु अंकित कर दी हैं। उक्त पट्टे मे प्रक्रियात्मक त्रुटि स्पष्ट रूप से परिलक्षित है। मामले मे यह भी उल्लेखनीय है कि निगरानीकर्ता द्वारा उक्त भूमि पर स्वयं का स्वामित्व होना अवश्य बताया है, किन्तु कोई प्रमाणित दस्तावेजी शहादत निगरानीकर्ता द्वारा भी प्रस्तुत न करने से कथित भूमि पर निगरानीकर्ता का स्वामित्व भी स्वीकार नहीं किया जा सकता हैं। समग्र तथ्यों पर विवेचन उपरान्त उक्त निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य पायी जाती है एवं ग्राम पंचायत द्वारा जारी ऐसे पट्टे को निरस्त कर प्रकरण ग्राम पंचायत ऋषभदेव को पुनः वास्ते जांच एवं अग्रिम कार्यवाही प्रति प्रेषित करना हम उचित समझते है।

अतः निगरानीकर्ताओ द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विपक्षी संख्या 2 ग्राम पंचायत ऋषभदेव, जिला उदयपुर द्वारा मिसल संख्या 58/2005 में पारित निर्णय दिनांक 20.03.2005 के अनुसरण में विपक्षी संख्या 1 श्री हेमलता पिता भेरूलाल मेघवाल के पक्ष में जारी पट्टा दिनांक 20.03.2005 निरस्त किया जाकर प्रकरण ग्राम पंचायत ऋषभदेव को प्रति प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि हमारे द्वारा दिये गये प्रेक्षणों को दृष्टिगत रखते हुये नवीन सिरे से आवेदन प्राप्त होने पर पूर्णतया विधिनुरूप जांच कर उभय पक्ष को सुनकर, मौका जांच उपरान्त, आपत्तियों को नियमानुसार निराकरण के पश्चात विधि अनुसार अग्रिम कार्यवाही करे।

निर्णय आज 16.02.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2022.02.18 10:43:53 IST
Reason: SelfAttested

(ओ.पी.बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर